एमएनएस बैंक का नया पॅटर्न

माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ऋण लेने वाले स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ब्याज दर में १% प्रतिशत की छूट मिलेगी

- पूर्व विधायक तथा बैंक के अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील कव्हेकर

लातूर, दिनांक २७ जुलाई २०२६ ।

महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक द्वारा अपने सदस्यों एवं ग्राहकों का विकास जीतते हुए बैंक की सर्वांगीण प्रगति के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। ग्राहकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोनपे, गूगल पे, आरटीजीएस जैसी आधुनिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही बैंक के कार्यों को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ते हुए एमएनएस बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (बचत समूह) की महिलाओं को बिना किसी जमानत के एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत हजारों महिलाओं को स्वरोजगार एवं लघु उद्योग के लिए बिना जमानत ऋण प्रदान किया गया।

हालांकि, लगभग छह वर्ष पूर्व आए कोरोना संकट के कारण अनेक स्वयं सहायता समूहों के ऋण खातों में बड़ी मात्रा में बकाया राशि जमा हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए बैंक ने निर्णय लिया है कि बैंक द्वारा नियमित अवधि के भीतर भुगतान एवं ब्याज का भुगतान करने वाली स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ब्याज में १% प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी, ताकि वे पुनः आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें। यह घोषणा महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक के संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक शिवाजीराव पाटील कव्हेकर ने की। वे महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक की माइक्रो फाइनेंस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर बैंक के उपकार्यकारी संचालक किशनसिंह गहेरवार, साखा प्रबंधक प्रवीण जाधव, पंकज पाटील, सुनिल चाटुल, सुधीर कांबळे, मंछा सांगवे, अनिता पाथरे सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में पूर्व विधायक शिवाजीराव पाटील कव्हेकर ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाली अनेक महिलाएं नियमित रूप से ऋण की अदायगी कर रही हैं, जबकि कुछ महिलाओं के खाते व्यक्तिगत एवं आर्थिक कठिनाइयों के कारण बकाया हो गए हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय पर भुगतान एवं ब्याज का भुगतान करने वाली महिलाओं को ब्याज में १% प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जिन महिलाओं के ऋण खाते बकाया हैं, उन्हें नियमित समय सीमा के भीतर भुगतान करने के लिए किस्तों में राशि जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी। यदि, जो महिलाएं एकमुश्त भुगतान करेंगी, उन्हें भी ब्याज में विशेष रियायत प्रदान की जाएगी।

उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की सभी महिलाओं से अपील की कि वे समय पर अपना बकाया ऋण भुगतार महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक द्वारा घोषित इस विशेष रियायत योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

लातूर के वार्ड नंबर दो में महिलाओं के लिए नि:शुल्क सिलाई मशीन प्रशिक्षण केंद्र

ट्रिटी बच गयी लिमिटेड की संचालिका अदितीताई अमित देशमुख ने किया उद्घाटन, महिलाओं का उत्साहपूर्ण स्वागत

विलासराव देशमुख फाउंडेशन की पहल से ७ हजार से अधिक महिलाओं को मिला रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण

लातूर (सरकार सेवा): महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विलासराव देशमुख फाउंडेशन, लातूर द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क सिलाई मशीन प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लातूर शहर के वार्ड क्रमांक २ स्थित सिद्धेश्वर मंदिर, हत्तीबंद नगर परिसर में प्रशिक्षण केंद्र क्रमांक १७ का सुभारंभ ट्रिटी बच एंड लिमिटेड की संचालिका श्रीमती अदितीताई अमित देशमुख के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अदितीताई अमित देशमुख ने कहा कि महिलाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है और अब तक विलासराव देशमुख फाउंडेशन के माध्यम से ७ हजार से अधिक महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मार्गदर्शन भी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि फाउंडेशन सिलाई प्रशिक्षण के अलावा ब्यूटी पार्लर, फर्नीचर इंगिंग, रिटेल सेल्स, केक निर्माण सहित विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रम भी संचालित कर रहा है। साथ ही 'बी.डी.एस. बाजार' की संकल्पना के माध्यम से महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध कराने का भी कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में लातूर महानगरपालिका की स्थायी समिति के सभापति सचिन बंडापल्ले, विलासराव देशमुख फाउंडेशन मिशन डेवलपमेंट सेंटर की निदान प्रमुख संगीता मोडवणे, नगरा सदस्य एडवोकेट शेख फारूक, महेशबाबा आर्मिक योजनेश, अंकिता पटेकर, सिलाताई सागरगे, सोसाल मीडिया प्रमुख प्रवीण सूर्यवंशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य, प्रशिक्षु महिलाएं और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

आयोजकों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना, आर्थिक रूप से सशक्त करना तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम का संचालन सपकाल कांबळे ने किया।

लातूर में विद्यार्थियों के लिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम

सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की दी गई जानकारी

लातूर (प्रतिनिधी) : CHF फाउंडेशन के तत्वावधान में डॉ. मोहम्मद इकबाल उर्दू प्राथमिक विद्यालय, लातूर में कक्षा पाँचवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। डिजिटल युग में बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में तबस्सुमफाउंडेशन की जोहा सोलापुर एवं जान्हवी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल, मजबूत पासवर्ड का महत्व, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव, साइबर बुलिंग के दुष्परिणाम तथा ओटीपी और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सरल एवं सहज भाषा में मार्गदर्शन किया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न प्रश्न पूछे और कार्यक्रम को सकारात्मक प्रतिसाद दिया। इस अवसर पर CHF फाउंडेशन के अजीदा सर ने साहबना मेट देकर कार्यक्रम की सराहना की। साथ ही साइबर ऑफिसर्स (टीम मीडर्स) की भी विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय की उपमुख्याध्यापिका उजमा बाजी का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ सामूहिक छायाचित्र लिया गया। विद्यार्थियों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

दिल्ली पब्लिक स्कूल, नागपूर में शिक्षकों के लिए पॉक्सो कानून जागरूकता कार्यशाला

जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुशताक पठान के मार्गदर्शन में बाल सुरक्षा और कानूनी जिम्मेदारियों पर विशेष प्रशिक्षण

सुरक्षित एवं संवेदनशील विद्यालयी वातावरण बनाने पर दिया गया जोर, शिक्षकों ने बढ़ी जागरूकता

नागपुर :-नागपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल, वाणवी रोड में जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण कक्ष की ओर से शिक्षकों के लिए 'पॉक्सो कानून एवं बाल संरक्षण जागरूकता कार्यशाला' का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुशताक पठान के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।

कार्यशाला में शिक्षकों को पॉक्सो (लागू) अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं, बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण, शिक्षकों की कानूनी अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा बच्चों के जिम्मेदारियों, संवेदनशील और संरक्षणात्मक विद्यालयी वातावरण तैयार करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर शिक्षकों ने कहा कि प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यशाला के माध्यम से शिक्षकों में बाल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने का आत्मविश्वास भी विकसित हुआ।

विद्यालय प्रबंधन ने प्रत्येक छात्र को सुरक्षित, संवेदनशील और सकारात्मक सैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

लातूर में डीजे-डॉल्बी पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, दो मंडलों सहित चार लोगों पर अदालत में मामला दर्ज

लातूर (सरकार सेवा) : लातूर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा में डीजे और डॉल्बी का उपयोग करने वाले दो मंडलों के पदाधिकारियों और दो डीजे संचालकों सहित कुल चार लोगों के खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई २५ जुलाई २०२६ को की गई।

पुलिस के अनुसार, १४ अप्रैल २०२६ को आयोजित जयंती शोभायात्राओं के लिए अनुमति देते समय सभी मंडलों को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 का पालन करने तथा उच्च क्षमता वाले डीजे और डॉल्बी का उपयोग नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद लातूर शहर के १४ मंडल निवासी का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे-डॉल्बी बजाते पाए गए। इस मामले में संबंधित मंडलों के अध्यक्षों और डीजे चालकों सहित २८ लोगों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए ५० दिनों का समय दिया गया था। समयावधि पूरी होने के बाद रमाबाई नगर, पोई नाली मंडल तथा वीर हनुमानवाडी, मोती नगर मंडल के अध्यक्षों और संबंधित डीजे संचालकों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ तथा ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के तहत लातूर न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।

पुलिस ने बताया कि दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को ५ वर्ष तक की सजा, १ लाख तक का जुर्माना, अथवा दोनों दंड का प्रावधान करना पड़ सकता है। वहीं शेष १२ मंडलों के अध्यक्षों और १२ डीजे संचालकों सहित २४ अन्य आरोपियों के खिलाफ भी न्यायालय में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। लातूर पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी त्योहार, जयंती या धार्मिक एवं सामाजिक शोभायात्रा में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन कर डीजे-डॉल्बी के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे, अपर पुलिस अधीक्षक गंगेश कराड़ाल तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिनसिंह सालके के मार्गदर्शन में गांधी चौक पुलिस थाना की टीम द्वारा की गई।